P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-12*August- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भ्रष्टाचार का सरकारी कार्यालयों में प्रवेश एवं उसका परिणाम, रोकथाम

सारांश

भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। वर्तमान परिदृष्य में हम देखें तो कोई भी सरकारी कार्यालय, चाहे पुलिस विभाग हो, या रेलवे, आयकर विभाग, बिजली विभाग, अस्पताल यहां तक स्कूल और कॉलेज में इससे अछूते नहीं हैं। एक आम आदमी को अपना छोटा सा काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का प्रभुत्व विषय रहा है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टारचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था। और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसम्बर, 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्में पर संसद में हुई बहस में डॉ. राममनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। ''सिहांसन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है। उतना दूनियाँ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है।''

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, सी.बी.आई., ए.सी.बी., आई.ए.एस., आयकर, पुलिस, चिकित्सक आदि।

योगेन्द्र सिंह
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
वीणा मेमोरियल पी.जी.कॉलेज,
करौली, राजस्थान

प्रस्तावना

भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट+आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगडा हुआ तथा आचार का मतलब है। आचरण। अर्थात् भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है। वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पंडता है। भारत में राजनीतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। इसके अलावा न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस आदि में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

भ्रष्टाचार को निम्न उदाहरणों से समझाया जा सकता है–

1. भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो की डूंगरपुर चौकी ने पटवार मण्डल वसी के पटवारी प्रवीणसिंह को दो हजार रूपये रिश्वत लेते हुए पुनाली स्थित उसके निवास से धर दबोचा था पटवारी ने यह राशि वसी गाँव निवासी डॉ. पुष्पेन्द्र पण्ड्या से कृषि भूमि की खसरा, जमाबंदी, गिरदावरी तथा नक्शा ट्रेस की नकल देने की एवज में मांगी थी।
2. चौमू की राजकीय माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय के हैडमास्टर और बाबू को एसीबी कोर्ट क्रम एक के जज बलजीत सिंह के निवास पर पेश किया गया। जज ने दोनों आरोपियों को 13 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए। एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हेडमास्टर नवीन शर्मा और बाबू गिरधर को एक बी.एड. इन्टर्न से दो हजार रूपये की घूस लेते पकडा था।
3. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सिधमुख पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल गोविंदसिंह को 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
   हैड कांस्टेबल ने रिश्वत जब्त जीप छोड़ने, मामले में नामजद महिलाओं के नाम हटाने व क्रॉस केस दर्ज करने के लिए ली गई थी। हेड कांस्टेबल द्वारा 50 हजार रूपये की रिश्वत मांगी गई। सोदा 30 हजार रूपये में तय होने के बाद सिंह ने 26 दिसम्बर, 20 हजार रूपये ले लिए बाकी दस हजार के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
4. एक लाख रूपये की रिश्वत लेते छबडा नगर पालिका की अध्यक्ष पिंकी साहू को स्वायत्त शासन विभाग ने निलविंत कर दिया। स्वायत्त विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोडा ने साहू को पालिकाध्यक्ष पद व पालिका की सदस्यता से गिरफ्तारी की तिथी से निलम्बित किया था। साहू व उनके मनोनीत पार्षद पति जितेन्द्र साहू को एसीबी ने 9 नवम्बर को छबडा निवासी राजमल सोनी से कॉलोनी के भू–उपयोग परिवर्तन के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) जयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक विंग ने आयकर अधिकारी विनय कुमार मंगला को एक लाख रूपये की रिश्वत लेते दबोच लिया था। ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि फरियादी सोहनलाल पिडावा के निकट स्थित पेट्रोल पंप के असेसमेंट के लिए एक माह से मंगला के पास चक्कर लगा रहा था। मंगला ने असेसमेंट के लिए कथित रूप से एक लाख रूपये मांगे, सोहनलाल एक लाख रूपये लेकर आयकर कार्यालय पहुंचा तो मंगला ने रूपये लेकर उसे अकलेरा रोड पर बुलाया और मंगला एक लाख रूपये लेकर रवाना होने लगा। तभी सी.बी.आई. की टीम ने अपना वाहन लगाकर रोक लिया तलाशी में मंगला के पास दो–दो हजार रूपये के 50 नोट बरामद हुए।
6. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की टीम ने सात लाख रूपये की रिश्वत लेते आयकर विभाग के अपर आयुक्त रेंज (द्वितीय) जयपुर बी.एल. यादव को गिरफ्तार किया। अपर आयुक्त ने बीबीरानी में एक एजूकेशन सोसायटी संचालक से एक इकरारनामें पर कार्यवाही नहीं करने के एवज में रिश्वत माँगी थी।
7. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने जलदाय विभाग की खण्ड परियोजना चाकसू के अधिशाषी अभियंता रामदास मीणा के आवास और प्रोपर्टी की तलाशी ली। इसमें उसके करोडपति होने का पता चला। एसीबी ने विभाग से मिली शिकायत की प्रारंम्भिक छानबीन कर 23 दिसम्बर को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।

   ए.सी.बी. के आई. जी. सचिन मित्तल के अनुसार शिकायत मिली थी कि अधिशाषी अभियंता रामदास मीणा ने 2.13 करोड की चल–अचल परसंपत्तियों स्वयं, पत्नि और बेनामी अर्जित कर रखी हैं।

   ए.सी.बी. के एएसपी नरपत सिंह राठौड ने बताया कि रामदास के आवास पर तलाशी में प्रोपर्टी के कई दस्तावेज मिले। इनमें राजनगर महारानी फार्म हाउस स्थित 420 वर्ग मीटर का आवास और गर्ल्स हास्टल है। हॉस्टल रामधन की पत्नि नंदिनी जोरवाल के नाम है। पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म में 1250 वर्गफीट पर एक और आवास है। नंदनी के नाम कुशखेडा, भिवाडी अलवर में एक कॉमशियल प्लॉट भी है।
8. मेडता रोड जोधपुर, सी.बी.आई. और रेलवे विजिलेंस टीम ने प्लेटफार्म निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत करने की एवज में 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते जोधपुर रेल मण्डल के कार्य निरीक्षक कैलाश मीणा को मेडता रोड स्थित उसके आवास से रंगे हाथों पकडा था।
9. कोटा में करीब 16 साल पहले 400 रूपये रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने एम.बी.एस. अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी व मेल नर्स को 4–4 साल कठोर कैद व 25–25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई दोनों सेवानिवृत्त हो चुके है। एमबीएस अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिष्ठ विभाग के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी जवाहर नगर निवासी डॉ. गोविन्द गुप्ता व टीचर्स कॉलोनी निवासी मेल नर्स चक्रपाणी गौतम के खिलाफ इजहार अली ने 27 अगस्त 2002 को एसीबी कोटा में शिकायत की थी। उसने कहा था कि उसका भाई साबिर अली एक दिन पहले झगडे में घायल हो गया था उसे विज्ञान नगर पुलिस ने एम.बी.एस. अस्पताल में भर्ती कराया था। उसकी चोटों की रिपोर्ट के संबंध में जब वह डॉ. गोविन्द गुप्ता से मिला तो उन्होंने साबिर की चोटों को गंभीर बताने की एवज में एक हजार रूपये रिश्वत की मांग की। बाद में वे 400 रूपये में राजी हो गए।
10. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने हाइवे पर ओवरलोडेड वाहनों से लाखों की अवैध वसूली में एफआईआर दर्ज कर दो परिवहन निरीक्षक और एक बिचौलिया को गिरफ्तार किया था। भूमिगत हुए दो परिवहन निरीक्षक व एक सेवानिवृत्त परिवहन उप निरिक्षक की तलाशी ली एसीबी की दोपहर तक भीलवाडा, अलवर और जयपुर में तलाशी अभियान चला जिसमें दर्जनों बैंक खातों की पासबुक, लॉकर, डायरियाँ, पर्चियाँ, और अन्य दस्तावेज जब्त हुए थे। एसीबी ने तीन जगह से 24.38 लाख रूपये बरामद किए थे।
11. 33 हजार फर्जी परिवार बताकर बहुचर्चित 35 हजार क्विंटल गेंहू घोटाले में आई.ए.एस. निर्मला मीणा सहित तीन जनों के खिलाफ एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में एसीबी ने खुलासा किया आईएएस निर्मला मीणा ने ठेकेदार सुरेश उपाध्याय, आटा मिल मालिक स्वरूपसिंह राजपुरोहित तथा कनिष्ठ लिपिक अनिल पालीवाल के साथ मिलकर 35 हजार क्विंटल गेहू खुदबुर्द कर चार करोड रूपये का घोटाला किए। खाद्य सुरक्षा योजना का गेंहू राशन की दुकानों पर पहुँचने की बजाय सीधे आटा मिल से पहुँच गया। मिल में 4400 क्विंटल गेहूं अपने आटा मिल में पिस कर खुर्द–बुर्द किया। मार्च 2016 में खुर्द–बुर्द किए गए गेंहू की बिक्री पर 5 रूपये प्रति किलों निर्मला मीणा, 4 रूपये प्रति किलो संबंधित राशन डीलर, 11 रूपये प्रतिकिलो लिपिक अशोक पालीवाल तथा शेष 1 का हिस्सा था।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार के कारणों एवं उसके परिणामों से आत्मसात कराना है तथा इसके साथ–2 यह भी बताया है कि अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। ऐसा प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल–2018 संसद में पास हो गया है।

अब रिश्वत लेने वाला ही नहीं देने वाला भी दोषी, होगी जेल

अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। ऐसे प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल–2018 संसद में पास हो गया इसमें रिश्वत देने वाले को 7 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है। रिश्वत लेने वाले के लिए 3 साल

से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हो लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्रि जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया इस विधेयक से 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन किया है।

ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण

विधेयक में लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त लोकसेवकों को भी यह संरक्षण दिया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल–2018

1. कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई जहाँ तक संभव हो प्रतिदिन की जाएगी।
2. लेकसेवक अपनी संपत्ति के घोषित ब्यौरे में संशोधन कर सकेंगे।
3. सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए उकसाना अपराध होगा।
4. भ्रष्टाचार के दोषी कर्मचारियों को संपत्ति की कुर्की का ब्यौरा तथा प्रतिक्रियाओं में भी बदलाव।
5. रिश्वत देने वाले को यह बताना होगा की किस बजह से और किन परिस्थितियों में रिश्वत दी।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। जिसने सभी सरकारी कार्यालयों एवं मंत्रालयों में अपने पैर पसार लिये हैं। जिसके कारण देश अन्दर से खोखला होता जा रहा है। जिस पर लगान लगाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल–2018 संसद में पास हो जाने से इस पर कहीं हद तक लगाम लगेगी। सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए उकसाना भी अपराध माना जायेगा फिर भी आम आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *राजस्थान पत्रिका, 3 दिसम्बर, 2016.*
2. *राजस्थान पत्रिका, भरतपुर, रविवार, 12 फरवरी, 2017.*
3. *राजस्थान पत्रिका भरतपुर, 1 जनवरी, 2017.*
4. *राजस्थान पत्रिका भरतपुर, बुधवार, 21 दिसम्बर, 2016.*
5. *राजस्थान पत्रिका, 31 दिसम्बर, 2016.*
6. *राजस्थान पत्रिका, 17 फरवरी, 2017.*
7. *राजस्थान पत्रिका, 5 नवम्बर, 2016.*
8. *राजस्थान पत्रिका भरतपुर, शुक्रवार, 18 नवम्बर, 2016.*
9. *राजस्थान पत्रिका, 10 दिसम्बर, 2016.*
10. *दैनिक भाष्कर, भरतपुर, शुक्रवार, 19 जुलाई, 2018.*
11. *दैनिक भाष्कर, भरतपुर, 25 जुलाई, 2018.*